न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2025

अपीलांट्स –

1. प्रहलादराम पुत्र खमाराम
   जाति मेघवाल निवासी
   हरूपाणी तहसील बाटाडू
   जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. कबीराराम पुत्र खमाराम
2. केसाराम पुत्र खमाराम
   जाति मेघवाल निवासी हरूपाणी तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भीमड़ा
4. तहसीलदार, बाटाडू

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध तहसीलदार बायतू द्वारा विभाजन आदेश कमांक 296 दिनांक 26.03.2024 पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री भोमाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पों. संख्या 1 एवं 2 स्वयं उपस्थित
4. रेस्पों. संख्या 4 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 28.04.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा पारित आदेश कमांक 296 दिनांक 26.03.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 01 एवं 02 की संयुक्त खातेदारी का मौजा रतनालीनाडी तहसील बायतु वर्तमान तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 84 रकबा 1.8445 हैक्टेयर, ग्राम भीमड़ा के खसरा नंबर 792/230 रकबा 1.5196 हैक्टेयर, मौजा इसरामों का तला खसरा संख्या 879/59 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, मौजा चौखाणियों का तला खसरा संख्या 157/4 रकबा 1.1003 हैक्टेयर, खसरा संख्या 159/72 रकबा 2.6495 हैक्टेयर व मौजा हरूपाणी खसरा संख्या 622 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 766/663 रकबा 1.4778 हैक्टेयर, खसरा संख्या 767/663 रकबा 0.2912 हैक्टेयर का आया हुआ है। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 एवं 2 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया गया, जो श्रीमान तहसीलदार बायतु द्वारा आदेश दिनांक 26.03.2024 को स्वीकार कर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के आदेश जारी किए गए, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2025 को प्रस्तुत की गई है एवं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 01 एवं 02 की संयुक्त खातेदारी का मौजा रतनालीनाडी तहसील बायतु वर्तमान तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 84 रकबा 1.8445 हैक्टेयर, ग्राम भीमड़ा के खसरा नंबर 792/230 रकबा 1.5196 हैक्टेयर, मौजा इसरामों का तला खसरा संख्या 879/59 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, मौजा चौखाणियों का तला खसरा संख्या 157/4 रकबा 1.1003 हैक्टेयर, खसरा संख्या 159/72 रकबा 2.6495 हैक्टेयर व मौजा हरूपाणी खसरा संख्या 622 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 766/663 रकबा 1.4778 हैक्टेयर, खसरा संख्या 767/663 रकबा 0.2912 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त अपीलाधीन आराजी में अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 व 2 का बराबर हिस्सा 1/3–1/3 हिस्से का अधिकार है। पक्षकारान का पूर्व में मौखिक रूप से बाहामी बंटवाडा किया हुआ है। इसी बंटवाडा के अनुसार मौके पर काबिज है जिस पर पक्षकारान की ढाणियां, टांके, चारा–बाडे इत्यादि बने हुए हैं। उक्त अपीलाधीन आराजी संयुक्त होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है। मौके पर पक्षकारान का हिस्सा स्थायीचिह्न से चिह्नित नहीं होने के कारण फसल बुआई के समय पक्षकारान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस कारण पक्षकारान के द्वारा अपीलाधीन आराजी के बंटवाडा करने का निर्णय लिया गया। सभी पक्षकारान हल्का पटवारी के पास जाकर मौके पर पूर्व में मौखिक बंटवाडा के अनुसार काबिज अनुसार बंटवारा करने को कहा गया, तब हल्का पटवारी के द्वारा विभाजन प्रार्थना के खाली दस्तावेज पर पक्षकारान के हस्ताक्षर व अंगूठे लिए गए तथा हल्का पटवारी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके मौके पर काबिज अनुसार ही बंटवारा किया जाएगा। अपीलांट इस विश्वास पर रहे कि मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा कर दिया जाएगा। उतरदाता संख्या 1 द्वारा पटवारी हल्का को अपने प्रभाव में लेकर मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा नहीं करवाकर गलत तरीके से करवा दिया गया। अपीलांट के हिस्सा से कम रकबा व स्वय ने हिस्सा से अधिक रकबा प्राप्त कर लिया गया तथा न ही वक्त बंटवाडा श्रीमान तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करते समय हम सभी खातेदारान को उपस्थित किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में यह भी जाहिर किया गया कि खसरा संख्या 879/50 व 306/126 की भूमि सड़क पर है जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा होने के बावजूद भी अपीलांट का हिस्सा नहीं रखा। सड़क वाली कीमती जमीन

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उतरदातागण द्वारा अपने नाम करवा दी गई। समतल भूमि व उपजाऊ भूमि उतरदातागण के नाम दर्ज करवा दी गई तथा धोरों वाली व कम उपजाऊ भूमि अपीलांट को बंट में दे दी गई। खसरा संख्या 766/663 व 767/663 में अपीलांट के कब्जा काश्त के विपरीत कर दिया, अपीलांट के कब्जा वाली भूमि उतरदाता संख्या 2 के नाम हो गई। अपीलांट के खेत के दो टुकडे कर दिए गए। अतः उक्त आधार पर यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावें।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अर्सा 20–25 दिन पूर्व जब हर साल की भांति सुडत्र कर रहा था तब उतरदातागण के द्वारा सुड करने से मना करने पर अपीलांट की बाड़ हटाने की धमकी दी व काश्त करने से मना करने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली जिसकी प्रतिलिपि मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अपीलाधीन आराजी का गलत रूप से बंटवाडा करवा दिया गया। जानकारी होने पर यह अपील वास्तविक जानकारी की तिथि से अंदर म्याद पेश की जा रही है तथा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 2 द्वारा अपनी सुनवाई में यह प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 296 दिनांक 26.03.2024 पूर्णरूप से सही किया गया है। उक्त बंटवाडा तीनों भाईयों में बराबर किया गया है, जिसमें प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त है एवं विभाजन प्रस्ताव भी उसी आधार पर बनाया गया है जिस आधार पर तीनों भाईयों का कब्जा–काश्त है। उक्त अपीलाधीन विभाजन आदेश में न ही पक्षकारान की ढाणियां और न ही टांका किसी अन्य पक्षकार के खेत में जा रही है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पेश करते समय तीनों भाई तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश होकर उक्त विभाजन आदेश पारित करवाया था जो कि पूर्ण रूप से आपसी सहमति एवं रजामंदी से किया गया था। रास्ते की सुविधा अपीलांट को प्रदान की गई है, जो विभाजन नक्शा से स्पष्ट है। उक्त अपील सिर्फ और सिर्फ हम उतरदातागण को तंग करने की मंशा से पेश की गई है जो कि खारिज योग्य है।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पों की सुनवाई दौरान प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया, जिसमें अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन है कि अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 01 एवं 02 की संयुक्त खातेदारी का मौजा रतनालीनाडी तहसील बायतु वर्तमान तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 84 रकबा 1.8445 हैक्टेयर, ग्राम भीमड़ा के खसरा नंबर 792/230 रकबा 1.5196 हैक्टेयर, मौजा इसरामों का तला खसरा संख्या 879/59 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, मौजा चौखाणियों का तला खसरा संख्या 157/4 रकबा 1.1003 हैक्टेयर, खसरा संख्या 159/72 रकबा 2.6495 हैक्टेयर व मौजा हरूपाणी खसरा संख्या 622 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 766/663 रकबा 1.4778 हैक्टेयर, खसरा

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

संख्या 767/663 रकबा 0.2912 हैक्टेयर में हुए बंटवाडे में अपीलांट को कम हिस्सा प्राप्त हुआ जबकि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तीनों विधिक उतराधिकारियों को संयुक्त खातेदारी में 1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह तथ्य पेश किया कि बंटवाडा मौके की स्थिति के अनुसार नहीं हुआ जबकि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 01 एवं 02 ने यह स्वीकार किया कि वे अपनी–अपनी मौके की जमीन पर काबिज है तथा रास्ते की सुविधा, विभाजन नक्शा अनुसार सभी पक्षकारान को प्रदान की गई है। अतः उक्त अपीलाधीन विभाजन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)